पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2004

(2004 का अध्यादेश संख्यांक 7)

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित ।

[26 दिसंबर, 2004]

पेटेन्ट अधिनियम, 1970
का और संशोधन
करने के लिए
अध्यादेश

संसद् सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ;

अतः, अब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 है ।

(2) धारा 37 के खंड (क) का उपखंड (ii), और खंड (ख), धारा 41, धारा 42, धारा 47, धारा 58 से धारा 62 (दोनों सम्मलित हैं) और धारा 73 उस तारीख को प्रवृत्त होंगी जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ; और शेष उपबंध 1 जनवरी, 2005 को प्रवृत्त होंगे ।

1970 का 39

धारा 2 का संशोधन ।

2. पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में,--

(क) खण्ड (कख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(कखक) "बुडापेस्ट संधि" से 28 अप्रैल, 1977 को बुडापेस्ट में की गई पेटेन्ट प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं के निक्षेप की अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता पर समय-समय पर यथासंशोधित और उपान्तरित बुडापेस्ट संधि अभिप्रेत है ;';

(ख) खण्ड (घ) में, "धारा 133 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में अधिसूचित" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 133 में कन्वेंशन देश के रूप में निर्दिष्ट" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) खण्ड (छ) का लोप किया जाएगा ;

(घ) खण्ड (ज) में,--

(i) उपखण्ड (iii) में, "कम्पनी अधिनियम, 1956" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ; 1956 का 1

(ii) उपखण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iv) सरकार द्वारा पूर्णतया या सारवान रूप से वित्तपोषित किसी संस्था द्वारा ;";

(iii) "और इसके अन्तर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिसर और कोई ऐसी अन्य संस्था भी है जिसका पूर्णतया या जिसके बड़े भाग का वित्तपोषण उक्त परिषद् द्वारा किया जाता है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ङ) खण्ड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(झ) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, "उच्च न्यायालय" से, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला उच्च न्यायालय अभिप्रेत है ;';

(च) खण्ड (ठ) और खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

'(ठ) "विरोधी बोर्ड" से धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन गठित कोई विरोधी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ड) "पेटेन्ट" से इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी खोज के लिए कोई पेटेन्ट अभिप्रेत है ;'।

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(क) खण्ड (घ) में, "नए उपयोग" शब्दों के स्थान पर, "केवल नए उपयोग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खण्ड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(ट) स्वतः कोई कंप्यूटर कार्यक्रम, जो उद्योग में उसके तकनीकी उपयोजन से भिन्न हो या हार्डवेयर के साथ कोई संयोजन हो ;

(टक) कोई गणितीय पद्धति या कोई कारबार पद्धति या दशमलव पद्धति **;**"।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 का लोप किया जाएगा । धारा 5 का लोप ।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 में,-- धारा 7 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(1ख) उपधारा (1क) में निर्दिष्ट किसी आवेदन को फाइल करने की तारीख और पदाभिहित कार्यालय या निर्वाचित कार्यालय के रूप में पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रसंस्कृत किया जाने वाला इसका पूर्ण विनिर्देश, पेटेंट सहयोग संधि के अधीन दी गई अंतरराष्ट्रीय फाइल करने की तारीख होगी ।";

(ख) उपधारा (3) में, "स्वामी" शब्द के स्थान पर, "व्यक्ति" शब्द रखा जाएगा ;

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) प्रत्येक ऐसा आवेदन (जो कन्वेन्शन आवेदन या भारत को पदाभिहित किए जाने के लिए पेटेंट सहयोग संधि के अधीन फाइल किया गया कोई आवेदन नहीं है) के साथ एक अनंतिम या संपूर्ण विनिर्देश लगा होगा ।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 में,-- धारा 8 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,--

(i) "या तत्पश्चात् ऐसी अवधि के भीतर जो नियंत्रक ठोस और पर्याप्त कारणों से अनुज्ञात करे" शब्दों के स्थान पर, "या विहित अवधि के भीतर जो नियंत्रक अनुज्ञात करे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में "भारत में फाइल किए गए अपने पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण की तारीख तक" शब्दों के स्थान पर, "भारत में पेटेंट अनुदत्त करने की तारीख तक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) भारत में पेटेंट के लिए किसी आवेदन को फाइल करने के पश्चात् किसी समय और उस पर पेटेंट अनुदत्त करने अथवा पेटेंट अनुदत्त करने से इंकार किए जाने तक, नियंत्रक आवेदक से यह अपेक्षा भी कर सकेगा कि वह भारत से बाहर किसी देश में आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में ऐसे ब्यौरे दे जो विहित किए जाएं और उस दशा में आवेदक नियंत्रक को उसके पास उपलब्ध जानकारी को ऐसी अवधि के भीतर देगा जो विहित की जाए ।"।

7. मूल अधिनियम की धारा 9 में,-- धारा 9 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) जहां किसी पेटेंट के लिए किसी आवेदन (जो कोई कन्वेन्शन आवेदन या भारत को अभिहित किए जाने के लिए पेटेंट सहयोग संधि के अधीन फाइल किया गया कोई आवेदन नहीं है) के साथ एक अनंतिम विनिर्देश लगा हो, वहां एक पूर्ण विनिर्देश आवेदन फाइल करने की तारीख से बारह मास के भीतर फाइल किया जाएगा और यदि पूर्ण विनिर्देश इस प्रकार फाइल नहीं किया जाता है तो आवेदन उस बारे में यह समझा जाएगा कि उसका परित्याग कर दिया गया है ।";

(ख) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि को सबसे पहले अनंतिम विनिर्देश के फाइल करने की तारीख से गणना में लिया जाएगा ।";

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(3) जहां पेटेंट के लिए ऐसे आवेदन के साथ (जो कोई कन्वेन्शन आवेदन या भारत को अभिहित किए जाने के लिए पेटेंट सहयोग संधि के अधीन फाइल किया गया कोई आवेदन नहीं है) ऐसा विनिर्देश हो जिसका पूर्ण विनिर्देश होना तात्पर्यित है, वहां नियंत्रक यदि आवेदक ऐसे आवेदन को फाइल करने की तारीख से बारह मास के भीतर किसी समय ऐसा अनुरोध करता है तो यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा विनिर्देश इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनंतिम विनिर्देश समझा जाएगा और आवेदन पर तद्नुसार आगे कार्यवाही कर सकेगा ।";

(घ) उपधारा (4) में, "पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण" शब्दों के स्थान पर, "पेटेंट अनुदत्त करने" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 में,--

(क) उपधारा (3) में, "आवेदन के प्रतिग्रहण से पहले" शब्दों के स्थान पर, "किसी आवेदन के किसी पेटेंट को अनुदत्त करने के लिए नियमित पाए जाने से पहले" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उपधारा (4) के परंतुक में,--

(i) खंड (ii) में, "उक्त पदार्थ को ऐसी प्राधिकृत निक्षेपागार संस्था के पास जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए" शब्दों के स्थान पर, "ऐसा पदार्थ बुडापेस्ट संधि के अधीन किसी अंतरराष्ट्रीय निक्षेपागार प्राधिकरण के पास" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उपखंड (अ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(अ) पदार्थ का निक्षेप भारत में पेटेंट के आवेदन के फाइल करने की तारीख के पश्चात् नहीं किया जाएगा और उसका निर्देश विहित अवधि के भीतर विनिर्देश में किया जाएगा ।";

(ग) उपधारा (4क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4क) भारत को अभिहित करने वाले किसी अंतरराष्ट्रीय आवेदन की दशा में आवेदन के साथ फाइल किए गए हक, वर्णन, रेखांकन, संक्षिप्तसार और दावे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पूर्ण विनिर्देश समझे जाएंगे ।"।

धारा 11 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 11 में,--

(क) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(3क) जहां भारत में पहले फाइल किए गए आवेदन पर आधारित पूर्ण विनिर्देश उस आवेदन की तारीख से बारह मास के भीतर फाइल कर दिया गया है और दावा पहले किए गए आवेदन में प्रकट किए गए विषय पर उचित

रूप में आधारित है वहां उस दावे की पूर्विकता की तारीख, पहले किए गए आवेदन की वह तारीख होगी जिसमें विषय पहले प्रकट किया गया था ।";

(ख) उपधारा (6) में, "(3)" कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "(3क)" कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

10. मूल अधिनियम की धारा 11क में,-- धारा 11क का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) से उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(1) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय पेटेंट के लिए कोई आवेदन साधारणतया ऐसी अवधि के लिए जनता के लिए खुला रहेगा जो विहित की जाए ।

(2) आवेदक, विहित रीति में नियंत्रक से अपने आवेदन के प्रकाशन की उपधारा (1) के अधीन विहित अवधि के अवसान से पूर्व प्रकाशित करने की प्रार्थना कर सकेगा और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियंत्रक ऐसे आवेदन को यथासंभवशीघ्र प्रकाशित करेगा ।

(3) किसी पेटेंट के लिए प्रत्येक आवेदन, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर, उन मामलों के सिवाय प्रकाशित किया जाएगा जहां--

(क) आवेदन में धारा 35 के अधीन गोपनीयता निदेश अधिरोपित किया गया है ;

(ख) आवेदन का धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन परित्याग कर दिया गया है ; या

(ग) जहां आवेदन उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से 3 मास पूर्व वापस ले लिया गया है ।";

(ख) उपधारा (4) में, "अठारह मास" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (1) में विहित" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(7) पेटेंट के लिए आवेदन के प्रकाशन की तारीख से ही और ऐसे आवेदन की बाबत किसी पेटेंट को अनुदत्त करने की तारीख तक आवेदक को ऐसे विशेषाधिकार और अधिकार होंगे मानों आवेदन के प्रकाशन की तारीख को आविष्कारके लिए पेटेंट अनुदत्त कर दिया गया है :

परंतु यह कि आवेदक, पेटेंट के अनुदत्त किए जाने तक किसी व्यतिक्रम के लिए कोई कार्यवाही संस्थित करने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु यह और कि धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन 1 जनवरी, 2005 के पूर्व किए गए आवेदन के संबंध में किसी पेटेन्टधारी के अधिकार पेटेन्ट अनुदत्त किए जाने की तारीख से प्रोद्भूत होंगे ।"।

11. मूल अधिनियम की धारा 11ख में,-- धारा 11ख का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) पेटेंट के लिए किसी आवेदन की तब तक परीक्षा नहीं की जाएगी जब तक आवेदन या कोई अन्य हितबद्ध व्यक्ति विहित अवधि के भीतर ऐसी

परीक्षा के लिए विहित रीति में अनुरोध नहीं करता है ।";

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्--

"(3) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए किसी पेटेंट किसी दावे की बाबत किसी आवेदन की दशा में 1 जनवरी, 2005 के पूर्व, इसकी परीक्षा विहित अवधि के भीतर विहित रीति में आवेदक या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अनुरोध किया जाएगा ।";

(घ) उपधारा (4) में,--

(i) "या उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा;

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि--

(i) आवेदक, आवेदन फाइल करने के पश्चात् किसी समय किंतु कोई पेटेंट अनुदत्त करने से पूर्व विहित रीति में अनुरोध करके आवेदन वापस ले सकेगा; और

(ii) उस मामले में, जहां धारा 35 के अधीन गोपनीय निदेश जारी किया जा चुका है, वहां, परीक्षा का अनुरोध गोपनीय निदेश के प्रतिसंहरण की तारीख से विहित अवधि के भीतर किया जा सकेगा ।"।

धारा 12 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 12 में,--

(क) उपधारा (1) में, "जब किसी पेटेंट के लिए किसी आवेदन की बाबत परीक्षा के लिए कोई अनुरोध धारा 11ख की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन विहित रीति में किया गया है तब नियंत्रक उससे संबंधित आवेदन और विनिर्देश तथा अन्य दस्तावेजों को" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर, "जब किसी पेटेंट के लिए किसी आवेदन की बाबत परीक्षा के लिए कोई अनुरोध धारा 11ख की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन विहित रीति में किया गया है तब नियंत्रक उससे संबंधित आवेदन और विनिर्देश तथा अन्य दस्तावेजों को शीघ्रतम" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "ऐसे निर्देश की तारीख से अठारह मास की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 13 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (3) में, "वह प्रतिगृहीत किया जाए" शब्दों के स्थान पर, "कोई पेटेंट अनुदत्त किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 14 और धारा 15 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 14 और 15 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

नियंत्रक द्वारा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार ।

"14. जहां पेटेंट के लिए किसी आवेदन के संबंध में नियंत्रक को प्राप्त परीक्षक की रिपोर्ट आवेदक के विरुद्ध है अथवा आवेदन, विनिर्देश या अन्य दस्तावेज में किसी संशोधन की अपेक्षा, यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया गया है वहां नियंत्रक, इसमें इसके पश्चात् आने वाले उपबंधों के अनुसार आवेदन को

निपटाने की कार्यवाही करने से पूर्व आक्षेपों का सार आवेदक को शीघ्रता से संसूचित करेगा और यदि आवेदक विहित समय के भीतर ऐसी अपेक्षा करता है तो वह उसे सुनवाई का अवसर देगा ।

नियंत्रक की कतिपय मामलों में इंकार करने या आवेदनों आदि के संशोधन की अपेक्षा करने की शक्ति ।

15. जहां नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि उसके अनुसरण में फाइल किया गया आवेदन या कोई विनिर्देश या कोई अन्य दस्तावेज इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है, वहां, नियंत्रक आवेदन पर कार्यवाही करने से इंकार कर सकेगा या, यथास्थिति, आवेदन, विनिर्देश या अन्य दस्तावेजों में, आवेदन पर आगे कार्यवाही करने से पूर्व, उसके समाधानप्रद रूप में संशोधन करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा करने में असफल होने पर आवेदन पर कार्यवाही करने से इंकार कर सकेगा ।"।

धारा 16 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 16 में, --

(क) उपधारा (1) में, "पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण से पहले" शब्दों के स्थान पर, "पेटेंट अनुदत्त करने से पहले" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण**--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, आगे आवेदन और उसके साथ लगे पूर्ण विनिर्देश को उस तारीख को फाइल किया गया समझा जाएगा जिसको पहले उल्लिखित आवेदन फाइल किया गया था और आगे आवेदन पर सारवान् आवेदन के रूप में कार्यवाही की जाएगी तथा उसकी परीक्षा तब की जाएगी जब परीक्षा का अनुरोध विहित अवधि के भीतर फाइल किया जाता है ।" ।

धारा 17 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में, "पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण से पहले" शब्दों के स्थान पर, "पेटेंट अनुदत्त करने से पहले" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 18 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 18 में,--

(क) उपधारा (1) में, "पूर्ण विनिर्देश को प्रतिगृहीत करने से" शब्दों के स्थान पर, "आवेदन पर कार्यवाही करने से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

धारा 19 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 19 में उपधारा (1) में, "इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों द्वारा अपेक्षित अन्वेषणों के या धारा 25 के अधीन की गई कार्यवाहियों के फलस्वरूप" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अन्वेषणों के फलस्वरूप" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 21 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

अनुदत्त करने के लिए आवेदन को नियमित करने के लिए समय ।

"21. (1) किसी पेटेंट के लिए किसी आवेदन का, तब तक परित्याग किया गया समझा जाएगा जब तक ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, आवेदक इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर लेता है, चाहे वह पूर्ण विनिर्देश के संबंध में हो या अन्यथा उस आवेदन के संबंध में उस तारीख से, जिसको आवेदन के या पूर्ण विनिर्देश या उससे संबंधित अन्य दस्तावेजों के आक्षेपों का प्रथम कथन नियंत्रक द्वारा आवेदक को अग्रेषित किया जाता है, हो ।

स्पष्टीकरण--जहां किसी पेटेंट के लिए आवेदन या कोई विनिर्देश या किसी कन्वेन्शन आवेदन अथवा भारत को अभिहित करने वाली पेटेंट सहयोग संधि के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन में आवेदन के भागरूप फाइल किया गया

कोई दस्तावेज नियंत्रक द्वारा कार्यवाहियों के अनुक्रम में आवेदक को लौटा दिया जाता है, वहां आवेदक के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया है जब तक कि वह उसे पुनः फाइल नहीं कर देता है या आवेदक नियंत्रक के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसा दस्तावेज उसके नियंत्रण के परे कारणों से फाइल नहीं किया जा सका था ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन यथाविहित अवधि के अवसान पर,--

(क) कोई अपील मुख्य आविष्कार के पेटेंट के लिए आवेदन के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है ; या

(ख) परिवर्धन के पेटेंट के लिए किसी आवेदन की दशा में, कोई अपील, उच्च न्यायालय के समक्ष या तो उस आवेदन के संबंध में या मुख्य आविष्कार के आवेदन के संबंध में लंबित है तो वह समय जिसके भीतर नियंत्रक की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा, उपधारा (1) के अधीन यथाविहित अवधि के अवसान से पूर्व आवेदक द्वारा किए गए किसी आवेदन पर ऐसी तारीख तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा जो उच्च न्यायालय अवधारित करे ।

(3) यदि वह समय जिसके भीतर उपधारा (2) में उल्लिखित अपील संस्थित की जा सकेगी, पर्यवसित नहीं हुआ है तो नियंत्रक उपधारा (1) के अधीन यथाविहित अवधि को ऐसी अवधि तक के लिए, जो अवधारित की जाए, बढ़ा सकेगा :

परंतु यह कि यदि उक्त और अवधि के दौरान कोई अपील फाइल कर दी गई है और उच्च न्यायालय ने नियंत्रक की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए समय में कोई विस्तार मंजूर कर दिया है तब अपेक्षाओं का न्यायालय द्वारा मंजूर किए गए समय के भीतर अनुपालन किया जा सकेगा ।"।

धारा 22 से धारा 24 का लोप ।

20. मूल अधिनियम की धारा 22 से धारा 24 तक का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 4क का लोप ।

21. मूल अधिनियम के अध्याय 4क का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 5 के शीर्षक का प्रतिस्थापन ।

22. मूल अधिनियम के अध्याय 5 में, "पेटेंट के अनुदत्त किए जाने का विरोध" अध्याय शीर्षक के स्थान पर, "अभ्यावेदन और विरोधी कार्यवाहियां" अध्याय शीर्षक रखा जाएगा ।

धारा 25 और धारा 26 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 25 और धारा 26 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

पेटेंट का विरोध ।

"25. (1) जहां, पेटेंट के लिए कोई आवेदन प्रकाशित कर दिया गया है किंतु पेटेंट अनुदत्त नहीं किया गया है, वहां कोई व्यक्ति लिखित में नियंत्रक को निम्नलिखित आधारों पर पेटेंट अनुदत्त करने के विरुद्ध विरोध के रूप में अभ्यावेदन कर सकेगा--

(क) पेटेंट योग्यता जिसके अंतर्गत नवीनता, आविष्कारशील कदम और औद्योगिक उपयोज्यता है ;

(ख) पूर्ण विनिर्देश, संसाधन और आविष्कार में प्रयोग की गई जैव विज्ञान सामग्री के भौगोलिक उद्गम का अप्रकटन या गलत उल्लेख और भारत में या कहीं और किसी स्थानीय या स्वदेशी समाज के भीतर उपलब्ध ज्ञान, मौखिक या अन्यथा द्वारा आविष्कार का पूर्वानुमान,

और नियंत्रक ऐसे अभ्यावेदन पर ऐसी रीति और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित

की जाए विचार करेगा और उसका निपटान करेगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उस उपधारा में निर्दिष्ट कोई अभ्यावेदन करने वाला व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में केवल इस कारण से कि उसने ऐसा अभ्यावेदन किया है, कोई पक्षकार नहीं बनेगा ।

(3) पेटेंट अनुदत्त करने के पश्चात्, किसी समय किंतु किसी पेटेंट को अनुदत्त करने की तारीख के प्रकाशन से एक वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व, कोई हितबद्ध व्यक्ति नियंत्रक को, विहित रीति में निम्नलिखित आधारों में से किसी पर विरोध की सूचना दे सकेगा, अर्थात् :--

(क) यह कि पेटेंटी या उस व्यक्ति ने जिसके अधीन या मार्फत वह दावा करता है, आविष्कार को या उसके किसी भाग को उससे या ऐसे व्यक्ति से जिसके अधीन या जिसकी मार्फत वह दावा करता है, गलत ढंग से अभिप्राप्त किया है ;

(ख) यह कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में अभी तक दावाकृत आविष्कार को दावे की पूर्विकता की तारीख से पूर्व--

(i) किसी पेटेंट के लिए किसी आवेदन के अनुसरण में भारत में एक जनवरी, 1912 को या उसके पश्चात् फाइल किए गए किसी विनिर्देश में ; या

(ii) भारत में या कहीं और किसी अन्य दस्तावेज में,

प्रकाशित कर दिया गया है :

परंतु यह कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट आधार वहां उपलब्ध नहीं होगा जहां ऐसे प्रकाशन से धारा 29 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के आधार पर आविष्कार का पूर्वानुमान नहीं होता है ;

(ग) यह कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावाकृत आविष्कार का किसी पूर्ण विनिर्देश के किसी ऐसे दावे में दावा किया गया है जो पेटेन्टी के दावे की पूर्विकता तारीख को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया गया था और भारत में किसी पेटेन्ट के लिए किसी आवेदन के अनुसरण में फाइल किया गया था, जो ऐसा दावा है जिसकी पूर्विकता तारीख पेटेन्टी के दावे की पूर्विकता तारीख से पूर्वतर है ;

(घ) यह कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में अभी तक दावाकृत आविष्कार, भारत में उस दावे की पूर्विकता की तारीख से पूर्व सार्वजनिक रूप से ज्ञात या सार्वजनिक रूप से प्रयोग में था ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसी प्रक्रिया से संबंधित किसी आविष्कार के बारे में, जिसके लिए कोई पेटेंट अनुदत्त किया जाता है, यह समझा जाएगा कि वह दावे की पूर्विकता की तारीख से पूर्व भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात हो चुका है या सार्वजनिक रूप से प्रयोग हो चुका है यदि उस प्रक्रिया द्वारा निर्मित कोई उत्पाद उस तारीख से पूर्व भारत में पहले ही आयातित हो चुका है उसके सिवाय जहां ऐसा आयात युक्तियुक्त विचारण या केवल प्रयोग के प्रयोजनों के लिए हुआ है ;

(ङ) यह कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में अभी तक दावाकृत आविष्कार स्पष्ट है और खंड (ख) में यथाउल्लिखित प्रकाशित विषय को ध्यान में रखते हुए या उस विषय को ध्यान में रखते हुए जो दावे की पूर्विकता की तारीख से पूर्व भारत में प्रयोग में था, स्पष्ट रूप से कोई नवीकरण चरण

अंतर्वलित नहीं है ;

(च) यह कि पूर्ण विनिर्देश का कोई दावा इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत कोई आविष्कार नहीं है या इस अधिनियम के अधीन पेटेंट योग्य नहीं है ;

(छ) यह कि पूर्ण विनिर्देश पर्याप्त रूप से और स्पष्ट रूप से आविष्कारका या उस पद्धति का, जिसके द्वारा इसका पालन किया जाना है, वर्णन नहीं करता है ;

(ज) यह कि पेटेंटी धारा 8 द्वारा अपेक्षित सूचना नियंत्रक को प्रकट करने में असफल रहा है या उसने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की है जो किसी सारवान् विशिष्टि में उसकी जानकारी में गलत थी ;

(झ) यह कि कन्वेन्शन आवेदन पर अनुदत्त किसी पेटेंट की दशा में, पेटेंट के लिए आवेदन किसी कन्वेन्शन देश या भारत में पेटेंट द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे वह हक प्राप्त करता है, किए गए आविष्कार की सुरक्षा के लिए पहले आवेदन की तारीख से 12 मास के भीतर नहीं किया गया था ;

(ञ) यह कि पूर्ण विनिर्देश आविष्कार में प्रयोग की गई जैव विज्ञान सामग्री के संसाधन और भौगोलिक उद्‌गम को प्रकट नहीं करता है या गलत रूप में उल्लिखित करता है ;

(ट) यह कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में अभी तक दावेकृत आविष्कार भारत में या कहीं और किसी स्थानीय या स्वदेशी समाज के भीतर उपलब्ध ज्ञान या अन्यथा को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमानित था,

किंतु न कि किसी अन्य आधार पर ।

(4) (क) जहां विरोध की कोई ऐसी सूचना उपधारा (3) के अधीन सम्यक् रूप से दी जाती है वहां नियंत्रक पेटेंटी को अधिसूचित करेगा ।

(ख) विरोध की सूचना की प्राप्ति पर नियंत्रक, लिखित में आदेश द्वारा, विरोध बोर्ड रूप में ज्ञात एक बोर्ड का गठन करेगा जिसमें ऐसे अधिकारी होंगे जो अवधारित किए जाएं और विरोध की ऐसी सूचना को दस्तावेजों सहित उस बोर्ड को परीक्षा के लिए निर्देशित करेगा और उसकी सिफारिशों को नियंत्रक को प्रस्तुत करेगा ।

(ग) खंड (ख) के अधीन गठित प्रत्येक विरोध बोर्ड ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में, जो विहित की जाए, परीक्षा करेगा ।

(5) विरोध बोर्ड की सिफारिश प्राप्त करने पर और पेटेन्टी और विरोधी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, नियंत्रक पेटेंट को बनाए रखने या उसमें संशोधन करने या उसे प्रतिसंहृत करने का आदेश देगा ।

(6) उपधारा (3) के खंड (घ) या खंड (ङ) में उल्लिखित आधार की बाबत उपधारा (5) के अधीन आदेश पारित करते समय, नियंत्रक किसी व्यक्तिगत दस्तावेज या गुप्त विचारण या गुप्त प्रयोग को ध्यान में नहीं रखेगा ।

(7) यदि नियंत्रक उपधारा (5) के अधीन ऐसा आदेश पारित करता है कि पेटेन्ट विनिर्देश या किसी अन्य दस्तावेज के संशोधन के अधीन रखा जाएगा तो पेटेंट तद्‌नुसार संशोधित होगा ।

"अभिप्राप्त करने" के मामलों में नियंत्रक पेटेंट

26. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी विरोधी कार्यवाही में नियत्रंक यह पाता है कि--

(क) पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में अभी तक दावाकृत आविष्कार को धारा 25 की उपधारा (3) के खंड (क) में उपवर्णित रीति में विरोधी से

अभिप्राप्त किया गया था और पेटेंट उस आधार पर चलन में है तो वह ऐसे विरोधी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में अनुरोध पर यह निदेश दे सकेगा कि पेटेंट विरोधी के नाम में संशोधित होगा ; को विरोधी के पेटेंट के रूप में समझ सकेगा ।

(ख) पूर्ण विनिर्देश में वर्णित किसी आविष्कार का कोई भाग विरोधी से अभिप्राप्त किया गया था तो वह यह अपेक्षा करते हुए कोई आदेश पारित कर सकेगा कि विनिर्देश में आविष्कार के उस भाग को अपवर्जित करते हुए संशोधन किया जा सकेगा ।

(2) जहां किसी विरोधी ने, उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी पूर्ण विनिर्देश के संशोधन की अपेक्षा करने वाले नियंत्रक के आदेश की तारीख से पूर्व किसी आविष्कार के पेटेंट के लिए कोई आवेदन फाइल किया है जिसमें संपूर्ण आविष्कार या उसका कोई भाग उससे अभिप्राप्त किया गया धारित है और ऐसा आवेदन लंबित है वहां नियंत्रक ऐसे आवेदन और विनिर्देश को जहां तक उनका संबंध उससे अभिप्राप्त किए गए धारित आविष्कारसे है, जो पूर्ण विनिर्देश के दावों की पूर्विकता तारीखों से संबंधित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस तारीख को फाइल किया गया मान सकेगा, जिसको तत्समान दस्तावेज, पूर्वतर आवेदन में पेटेन्टी द्वारा फाइल किया गया था या फाइल किया गया समझा गया था किन्तु सभी अन्य प्रयोजनों के लिए विरोधी के आवेदन पर, इस अधिनियम के अधीन पेटेन्ट के लिए किसी आवेदन के रूप में कार्यवाही अग्रसर की जाएगी ।"।

24. मूल अधिनियम की धारा 27 का लोप किया जाएगा । धारा 27 का लोप ।

25. मूल अधिनियम की धारा 28 में,–– धारा 28 का संशोधन ।

(क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :––

"(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन कोई अनुरोध या दावा पेटेंट अनुदत्त किए जाने से पूर्व किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (6) में, "उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "जहां" शब्द रखा जाएगा ।

26. मूल अधिनियम की धारा 31 में, "छह मास तक, न कि उसके पश्चात्" शब्दों के स्थान पर, "बारह मास तक, न कि उसके पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे । धारा 31 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 34 में, "पेटेंट के लिए पूर्ण विनिर्देश को प्रतिगृहीत करने या" शब्दों का लोप किया जाएगा । धारा 34 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (3) में, "पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के पूर्व" शब्दों के स्थान पर, "पेटेंट के अनुदान से पूर्व" शब्द रखे जाएंगे । धारा 35 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में, "बारह मास" शब्दों के स्थान पर, "छह मास" शब्द रखे जाएंगे । धारा 36 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 37 में,–– धारा 37 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,--

(i) खंड (क) में, "उसे प्रतिगृहीत करने" शब्दों के स्थान पर, "उसे अनुदत्त करने" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु उन निदेशों के अधीन रहते हुए उस आवेदन पर कार्यवाही, पेटेंट अनुदत्त किए जाने के प्रक्रम तक हो सकेगी, किन्तु पेटेंट अनुदत्त किए जाने के लिए सही पाए गए आवेदन और विनिर्देश प्रकाशित नहीं किए जाएंगे और उस आवेदन के अनुसरण में कोई भी पेटेंट अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (2) में, "प्रतिगृहीत किया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "पेटेंट अनुदत्त किए जाने के लिए सही पाया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 39 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 39 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

निवासियों द्वारा भारत से बाहर पेटेंट के लिए कोई आवेदन पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा ।

"39. (1) भारत में निवासी कोई व्यक्ति, विहित रीति में मांगी गई और नियंत्रक द्वारा या उसकी ओर से अनुदत्त किसी लिखित अनुज्ञा के प्राधिकार के अधीन के सिवाय किसी आविष्कार के पेटेंट के अनुदत्त किए जाने के लिए भारत के बाहर तब तक कोई आवेदन नहीं करेगा और न कराएगा जब तक कि--

(क) उसी आविष्कार के पेटेंट के लिए भारत में आवेदन, भारत के बाहर किए गए आवेदन के कम से कम छह सप्ताह पूर्व न कर दिया गया हो ; और

(ख) भारत में उस आवेदन के संबंध में धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन या तो कोई निदेश नहीं दिया गया है या ऐसे सभी निदेश प्रतिसंहृत कर लिए गए हैं ।

(2) नियंत्रक ऐसे प्रत्येक आवेदन का निपटारा ऐसी अवधि के भीतर करेगा जो विहित की जाए :

परंतु यदि आविष्कार प्रतिरक्षा प्रयोजन या परमाणु ऊर्जा के लिए सुसंगत है तो नियंत्रक केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अनुज्ञा प्रदान नहीं करेगा ।

(3) यह धारा ऐसे आविष्कार के संबंध में लागू नहीं होगी जिसके लिए संरक्षण हेतु आवेदन पहले भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी देश में फाइल कर दिया गया है ।"।

अध्याय 8 के शीर्षक का प्रतिस्थापन ।

32. मूल अधिनियम के अध्याय 8 में, "पेटेंटों का अनुदान और मुद्राकंन तथा उसके द्वारा प्रदत्त प्राधिकार" अध्याय शीर्षक के स्थान पर, "पेटेंटों का अनुदान और उसके द्वारा प्रदत्त अधिकार" अध्याय शीर्षक रखा जाएगा ।

धारा 43 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 43 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

पेटेंटों का अनुदान ।

"43. (1) जहां पेटेंट के लिए कोई आवेदन पेटेंट के अनुदान के लिए सही पाया गया है और या तो--

(क) नियंत्रक द्वारा, इस अधिनियम द्वारा उसमें निहित किसी शक्ति के आधार पर, आवेदन को अस्वीकार नहीं किया गया है ; या

(ख) आवेदन इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन में नहीं पाया गया है,

तो वहां पेटेंट आवेदक को अथवा संयुक्त आवेदन की दशा में, आवेदकों को संयुक्त रूप से पेटेंट कार्यालय की मुद्रा के साथ यथासंभवशीघ्र अनुदत्त किया जाएगा और वह तारीख जिसको पेटेंट अनुदत्त किया जाता है, रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएगी ।

(2) नियंत्रक, पेटेंट अनुदत्त किए जाने पर, इस तथ्य को प्रकाशित करेगा कि पेटेंट अनुदत्त कर दिया गया है और उस पर आवेदन, विनिर्देश और उनसे संबंधित अन्य दस्तावेज लोक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।"।

धारा 44 का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 44 में, "मुद्रांकित" शब्द के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "अनुदत्त" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 45 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (3) में, "पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के विज्ञापन की तारीख" शब्दों के स्थान पर, "आवेदन के प्रकाशन की तारीख" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 48 का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 48 में परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 52 का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 52 में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(i) "जहां पेटेंट इस आधार पर प्रतिसंहृत किया गया है" प्रारंभिक शब्दों के स्थान पर, "जहां पेटेंट इस आधार पर धारा 64 के अधीन प्रतिसंहृत किया गया है" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) "न्यायालय" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "अपील बोर्ड या न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "न्यायालय" शब्द के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "अपील बोर्ड या न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 53 का संशोधन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 53 में,--

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण**--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, भारत को अभिहित करने वाली पेटेंट सहयोग संधि के अधीन फाइल किए गए अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की दशा में, पेटेंट की अवधि पेटेंट सहयोग संधि के अधीन प्रदान की गई अंतरराष्ट्रीय आवेदन फाइल करने की तारीख से बीस वर्ष होगी ।";

(ख) उपधारा (2) में, "या उस अवधि के भीतर जो इस धारा के अधीन बढ़ाई जाए" शब्दों के स्थान पर, "या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो विहित की जाए" शब्द रखे जांएगे ;

(ग) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

धारा 54 का संशोधन ।

39. मूल अधिनियम की धारा 54 में,--

(क) उपधारा (3) में, "पूर्ण विनिर्देश" शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "आवेदन" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) मुख्य आविष्कार के लिए पेटेंट अनुदत्त किए जाने से पूर्व कोई परिवर्धन-पेटेन्ट अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।"।

धारा 57 का संशोधन ।

40. मूल अधिनियम की धारा 57 में,--

(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(3) इस धारा के अधीन किसी पेटेंट या पूर्ण विनिर्देश या उससे संबंधित दस्तावेज का संशोधन करने की इजाजत के लिए ऐसे प्रत्येक आवेदन का, जो पेटेंट अनुदत्त किए जाने के पश्चात् किया गया है और प्रस्थापित संशोधन की प्रकृति का, प्रकाशन किया जा सकेगा ।";

(ख) उपधारा (4) में,--

(i) "विज्ञापित" शब्द के स्थान पर, "प्रकाशित" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) "विज्ञापन" शब्द के स्थान पर, "प्रकाशन" शब्द रखा जाएगा ;

(ग) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(6) इस धारा के उपबंध, नियंत्रक के ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए, जो पेटेंट अनुदत्त किए जाने से पूर्व जारी किए गए हों, अपने विनिर्देश या उससे संबंधित किसी दस्तावेज का संशोधन करने के लिए पेटेंट के लिए आवेदक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे ।"।

धारा 58 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

41. मूल अधिनियम की धारा 58 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय के समक्ष विनिर्देश का संशोधन ।

"58. (1) पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय के समक्ष की गई किसी कार्यवाही में, यथास्थिति, अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय, धारा 59 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, पेटेंटधारी को अपने पूर्ण विनिर्देश को ऐसी रीति से और खर्च, विज्ञापन या अन्य बातों के संबंध में ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए जो अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय ठीक समझे, संशोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा और यदि प्रतिसंहरण के लिए की गई किसी कार्यवाही में अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि पेटेंट अविधिमान्य है तो वह पेटेंट का प्रतिसंहरण करने के बजाय विनिर्देश को इस धारा के अधीन संशोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) जहां इस धारा के अधीन किसी आदेश के लिए कोई आवेदन अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय को किया जाता है वहां आवेदक उस आवेदन की सूचना नियंत्रक को देगा और नियंत्रक हाजिर होने का और सुने जाने का हकदार होगा तथा यदि अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार निर्देश दिया जाए तो वह हाजिर होगा ।

(3) अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय के ऐसे सभी आदेशों की प्रतिलिपियां, जिनके द्वारा विनिर्देश का संशोधन करने की पेटेंटधारी को अनुज्ञा दी गई है, अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय द्वारा नियंत्रक को पारेषित की जाएगी, जो उनकी प्राप्ति पर रजिस्टर में उनकी प्रविष्टि कराएगा और उनका निर्देश अंकित कराएगा ।"।

धारा 59 का संशोधन ।

42. मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) जहां पेटेंट के अनुदान की तारीख के पश्चात्, विनिर्देश या उससे संबंधित किन्हीं अन्य दस्तावेज का कोई संशोधन, यथास्थिति, नियंत्रक द्वारा या अपील बोर्ड अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया जाता है, वहां--

(क) वह संशोधन सभी प्रयोजनों के लिए विनिर्देश तथा उससे संबंधित अन्य दस्तावेजों का भाग समझा जाएगा ;

(ख) यह तथ्य कि विनिर्देश या उससे संबंधित किसी अन्य दस्तावेजों का संशोधन कर दिया गया है, यथासंभवशीघ्रता से प्रकाशित किया जाएगा ; और

(ग) आवेदक या पेटेंटधारी के संशोधन करने के अधिकार पर आक्षेप,

कपट के आधार पर किए जाने के सिवाय, नहीं किया जाएगा ।"।

43. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1) में, "विहित अवधि के भीतर या उस अवधि के भीतर जो धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन बढ़ाई जाए" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 53 के अधीन विहित अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो धारा 142 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात की जाए" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । धारा 60 का संशोधन ।

44. मूल अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (1) में, "आवेदन को विहित रीति से विज्ञापित करेगा" शब्दों के स्थान पर, "आवेदन को विहित रीति से प्रकाशित करेगा" शब्द रखे जाएंगे । धारा 61 का संशोधन ।

45. मूल अधिनियम की धारा 62 में,-- धारा 62 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, "विज्ञापन" शब्द के स्थान पर, "प्रकाशन" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में, "विज्ञापन की तारीख" शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशन की तारीख" शब्द रखे जाएंगे ।

46. मूल अधिनियम की धारा 63 में, -- धारा 63 का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) में, "विज्ञापित करेगा" शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशित करेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख)उपधारा (3) में, "ऐसे विज्ञापन" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे प्रकाशन" शब्द रखे जाएंगे ।

47. मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (1) में, "किसी हितबद्ध व्यक्ति की या केन्द्रीय सरकार की अर्जी पर या पेटेंट के अतिलंघन के किसी वाद में के किसी प्रतिदावे पर उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आधार में से किसी आधार पर प्रतिसंहृत किया जा सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "किसी हितबद्ध व्यक्ति की या केन्द्रीय सरकार की अर्जी पर अपील बोर्ड द्वारा या पेटेंट के अतिलंघन के किसी वाद में के किसी प्रतिदावे पर उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर प्रतिसंहृत किया जा सकेगा" शब्द रखे जाएंगे । धारा 64 का संशोधन ।

48. मूल अधिनियम की धारा 65 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 65 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों में सरकार के निदेशों पर पेटेंट का प्रतिसंहरण या पूर्ण विनिर्देश का संशोधन ।

"65. (1) जहां पेटेंट के अनुदान के पश्चात् किसी समय केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि पेटेंट परमाणु ऊर्जा से संबंधित ऐसे आविष्कार के लिए है जिसके लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन कोई पेटेंट अनुदत्त नहीं किया जा सकता है, वहां वह नियंत्रक को पेटेंट को प्रतिसंहृत करने का निदेश दे सकेगी और तदुपरि नियंत्रक, पेटेंटधारी को और ऐसे प्रत्येक अन्य व्यक्ति को, जिसका नाम पेटेंट में हित रखने वाले व्यक्ति के रूप में रजिस्टर में दर्ज किया गया है, सूचना देने के पश्चात् और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पेटेंट को प्रतिसंहृत कर सकेगा । (1962 का 33)

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कार्रवाई में नियंत्रक, पेटेंट को प्रतिसंहृत करने के बजाय पेटेंटधारी को पूर्ण विनिर्देश का ऐसी रीति में संशोधन करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे ।"।

49. मूल अधिनियम की धारा 68 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 68 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

समनुदेशनों, आदि का जब तक कि वे लिखित और सम्यक् रूप से निष्पादित न हो, विधिमान्य न होना ।

"68. किसी पेटेंट का या पेटेंट के किसी अंश का समनुदेशन, पेटेंट का बंधक, उसकी अनुज्ञप्ति या उसमें किसी अन्य हित का सृजन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि वह लिखित में न हो और संबद्ध पक्षकारों के बीच करार को एक ऐसे दस्तावेज का रूप न दे दिया गया हो जिसमें उनके अधिकारों और बाध्यताओं को शासित करने वाले सभी निबंधन और शर्तें समाविष्ट हों और वह सम्यक् रूप से निष्पादित किया गया हो ।"।

धारा 74 का संशोधन ।

50. मूल अधिनियम की धारा 74 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :---

"(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पेटेंट कार्यालय का नाम विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।"।

धारा 78 का संशोधन ।

51. मूल अधिनियम की धारा 78 में,--

(क) उपधारा (4) में, "विज्ञापित" शब्द के स्थान पर, "प्रकाशित" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (5) में, "ऐसे विज्ञापन" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे प्रकाशन" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 87 का संशोधन ।

52. मूल अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (1) में, "आवेदन को राजपत्र में विज्ञापित करेगा" शब्दों के स्थान पर, "आवेदन को शासकीय जर्नल में प्रकाशित करेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 90 का संशोधन ।

53. मूल अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) में, खंड (vii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(vii) अर्धचालक प्रौद्योगिकी की दशा में, अनुदत्त अनुज्ञप्ति सार्वजनिक वाणिज्येत्तर उपयोगों के लिए आविष्कार के संबंध में कार्य करने के लिए या न्यायिक या प्रशासनिक प्रक्रिया के प्रतियोगिता विरोधी होने के पश्चात् अवधारित किसी प्रथा का उपचार करने के लिए है ;

(viii) अनुज्ञप्ति भारतीय बाजार में प्रदाय करने के प्रधान प्रयोजन के साथ अनुदत्त की जाती है ;

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी धारा 92क के अनुसार पेटेन्टीकृत उत्पाद का निर्यात भी कर सकेगा ;

परन्तु यह और कि यदि अनुज्ञप्ति न्यायिक या प्रशासनिक प्रक्रिया के पश्चात् प्रतियोगिता विरोधी होने के पश्चात् अवधारित किसी प्रथा का उपचार करने के लिए अनुदत्त की जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी को पेटेंटीकृत उत्पाद का निर्यात करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।"।

नई धारा 92क का अंतःस्थापन ।

54. मूल अधिनियम की धारा 92 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

कतिपय असाधारण परिस्थितियों में पेटेंटकृत भेषजीय उत्पादों के निर्यात के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति ।

'92क. (1) ऐसे किसी देश को, जिसके पास लोक स्वास्थ्य की समस्याओं को हल करने के लिए संबद्ध उत्पाद के लिए भेषजीय सेक्टर में अपर्याप्त विनिर्माण क्षमता है या कोई विनिर्माण क्षमता नहीं है, पेटेंटकृत भेषजीय उत्पादों के विनिर्माण और निर्यात के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति उपलब्ध होगी परंतु यह तब जब कि ऐसे देश द्वारा अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर दी गई हो ।

(2) नियंत्रक, विहित रीति में, किसी आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसे देश को ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट और प्रकाशित की जाएं, संबद्ध भेषजीय उत्पाद के केवल विनिर्माण और निर्यात के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति

अनुदत्त करेगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध उस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले नहीं होंगे जिस तक अनिवार्य अनुज्ञप्ति के अधीन उत्पादित भेषजीय उत्पाद इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन निर्यात नहीं किए जा सकते ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "भेषजीय उत्पाद" से लोक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक भेषजीय सेक्टर का कोई पेटेंटकृत उत्पाद या पेटेंटकृत प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित उत्पाद अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत उनके विनिर्माण के लिए आवश्यक संघटक और उनके उपयोग के लिए अपेक्षित निदान विद्या किट सम्मिलित होगी ।'।

55. मूल अधिनियम की धारा 100 की उपधारा (3) में, "पेटेंट की बाबत पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण" शब्दों के स्थान पर, "पेटेंट के अनुदान" शब्द रखे जाएंगे । धारा 100 का संशोधन ।

56. मूल अधिनियम की धारा 105 की उपधारा (4) में, "किसी पेटेंट के पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के विज्ञापन की तारीख के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर, "किसी पेटेंट के अनुदान के प्रकाशन के पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे । धारा 105 का संशोधन ।

57. मूल अधिनियम की धारा 107क में,-- धारा 107क का संशोधन ।

(क) खंड (क) में,--

(i) "उपयोग करने या विक्रय करने" शब्दों के स्थान पर, "उपयोग करने, विक्रय करने या आयात करने" शब्द रखे जांएगे ;

(ii) "उपयोग या विक्रय" शब्दों के स्थान पर, "उपयोग, विक्रय या आयात" शब्द रखे जांएगे ;

(ख) खंड (ख) में, "जो पेटेंटधारी द्वारा उक्त उत्पाद का विक्रय या वितरण करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है," शब्दों के स्थान पर, "जो उत्पाद का उत्पादन और विक्रय या वितरण करने के लिए विधि के अधीन सम्यक्तः प्राधिकृत है," शब्द रखे जाएंगे ।

58. मूल अधिनियम की धारा 113 में,-- धारा 113 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) यदि, धारा 64 और धारा 104 के अधीन पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए, यथास्थिति, अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही में विनिर्देश के किसी दावे की विधिमान्यता का प्रतिवाद किया जाता है और वह दावा अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय द्वारा विधिमान्य पाया जाता है तो अपील बोर्ड या उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर सकेगा कि उस दावे की विधिमान्यता का उन कार्यवाहियों में प्रतिवाद किया गया था और उसको मान लिया गया था ।";

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(3) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, अतिलंघन के वादों में की डिक्रियों या आदेशों से अपील की या प्रतिसंहरण की अर्जियों की सुनवाई करने वाले न्यायालयों या अपील बोर्ड को उसमें विनिर्दिष्ट मापमान पर खर्चों के लिए आदेश पारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ।"।

धारा 116 का संशोधन ।

59. मूल अधिनियम की धारा 116 [पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 47 द्वारा यथाप्रतिस्थापित] की उपधारा (2) के खंड (ग) का लोप किया जाएगा । 2002 का 38

धारा 117क का संशोधन ।

60. मूल अधिनियम की धारा 117क [जो पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 47 द्वारा अंतःस्थापित की गई थी] की उपधारा (2) में, "धारा 20, धारा 25, धारा 27, धारा 28" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 20, धारा 25 की उपधारा (5), धारा 28" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । 2002 का 38

धारा 117घ का संशोधन ।

61. मूल अधिनियम की धारा 117घ [जो पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 47 द्वारा अंतःस्थापित की गई थी] की उपधारा (1) में, "रजिस्टर के परिशोधन के लिए" शब्दों के स्थान पर, "धारा 64 के अधीन अपील बोर्ड के समक्ष पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के लिए और रजिस्टर के परिशोधन के लिए आवेदन" शब्द और अंक रखे जाएंगे । 2002 का 38

धारा 117छ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

62. मूल अधिनियम की धारा 117छ [जो पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा अंतःस्थापित की गई थी] के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- 2002 का 38

लंबित कार्यवाहियों का अपील बोर्ड को अंतरण ।

"117छ. उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित नियंत्रक के किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों के सभी मामले और अतिलंघन के लिए वादों में प्रतिदावे पर से भिन्न पेटेंट के प्रतिसंहरण और रजिस्टर के परिशोधन से संबंधित सभी मामले उस तारीख से अपील बोर्ड को अंतरित हो जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की जाए और अपील बोर्ड ऐसे मामले में या तो नए सिरे से या उस प्रक्रम से जिससे वह अंतरित किया गया है, कार्रवाई करेगा ।"।

धारा 120 का संशोधन ।

63. मूल अधिनियम की धारा 120 में, "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 122 का संशोधन ।

64. मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) में, "बीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 123 का संशोधन ।

65. मूल अधिनियम की धारा 123 में, "जो प्रथम अपराध की दशा में दस हजार रूपए तक का और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराधों की दशा में चालीस हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "जो प्रथम अपराध की दशा में एक लाख रुपए तक का और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराधों की दशा में पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 126 का संशोधन ।

66. मूल अधिनियम की धारा 126 में, --

(क) उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में, "पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे । 2002 का 38

धारा 133 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

67. मूल अधिनियम की धारा 133 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

अभिसमय देश ।

"133. ऐसा कोई देश, जो हस्ताक्षरकर्ता या पक्षकार है अथवा पक्षकार या देशों का समूह, देशों का संघ या अंतरशासन संगठन, जो हस्ताक्षरकर्ता या पक्षकार है ऐसी किसी अंतरराष्ट्रीय, प्रादेशिक या द्विपक्षीय संधि, अभिसमय या व्यवस्था के, जिसका भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता या पक्षकार है, और जो भारत में पेटेंट के लिए आवेदकों या भारत के नागरिकों को वैसा ही विशेषाधिकार प्रदान करती है, जो

पेटेंटों के अनुदान और पेटेंट अधिकारों के संरक्षण के संबंध में उनके स्वंय के नागरिकों या उनके सदस्य देशों के नागरिकों को अनुदत्त है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिसमय देश होगा या होंगे ।"।

68. मूल अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 135 का संशोधन ।

"(3) भारत को अभिहित करने वाली पेटेंट सहयोग संधि के अधीन फाइल किए गए आवेदन और भारत में पहले फाइल किए गए आवेदन से पूर्विकता का दावा करने की दशा में उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो पहले फाइल किया गया आवेदन मूल आवेदन था :

परंतु धारा 11ख के अधीन जांच के लिए अनुरोध भारत में फाइल किए गए आवेदनों में से किसी एक के लिए ही किया जाएगा ।"।

69. मूल अधिनियम की धारा 138 में उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :– धारा 138 का संशोधन ।

"(1) जहां अभिसमय आवेदन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार किया गया है वहां आवेदक, जब भी नियंत्रक द्वारा अपेक्षा की जाए, पूर्ण विनिर्देश के अतिरिक्त, धारा 133 में यथानिर्दिष्ट अभिसमय देश के पेटेंट कार्यालय में आवेदक द्वारा फाइल किए गए विनिर्देश या जमा किए गए तत्संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां या नियंत्रक के समाधान के लिए सत्यापित की गई प्रतियां नियंत्रक द्वारा संसूचना की तारीख से विहित अवधि के भीतर देगा ।"।

70. मूल अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (4) में, "पूर्ण विनिर्देश" शब्दों के स्थान पर, "आवेदन" शब्द रखा जाएगा । धारा 142 का संशोधन ।

71. मूल अधिनियम की धारा 143 के स्थान पर, निम्नलिखित नई धारा रखी जाएगी, अर्थात् :– धारा 143 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"143. अध्याय 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पेटेंट के लिए आवेदन और उसके अनुसरण में फाइल किया गया कोई विनिर्देश, आवेदक की सहमति के बिना, नियंत्रक द्वारा धारा 11क की उपधारा (1) में विहित अवधि की समाप्ति से पूर्व या धारा 11क की उपधारा (3) या धारा 43 के अनुसरण में लोक निरीक्षण के लिए खोले जाने से पूर्व प्रकाशित नहीं किया जाएगा ।"। विनिर्देश के प्रकाशन पर निर्बंधन ।

72. मूल अधिनियम की धारा 145 के स्थान पर, निम्नलिखित नई धारा रखी जाएगी, अर्थात् :– धारा 145 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"145. नियंत्रक कालिक रूप से एक शासकीय जर्नल प्रकाशित करेगा जिसमें ऐसी जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा या उसके अधीन प्रकाशित किए जाने के लिए अपेक्षित हो ।"। शासकीय जर्नल का प्रकाशन ।

73. मूल अधिनियम की धारा 151 में,-- धारा 151 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, "उच्च न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "उच्च न्यायालय या अपील बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "न्यायालयों" शब्द के स्थान पर, "यथास्थिति, अपील बोर्ड या न्यायालयों " शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 152 का लोप ।

74. मूल अधिनियम की धारा 152 का लोप किया जाएगा ।

धारा 159 का संशोधन ।

75. मूल अधिनियम की धारा 159 में,--

(i) उपधारा (2) में,--

(क) खंड (iक) और खंड (iख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(iक) वह अवधि, जिसे नियंत्रक उपधारा (1) के अधीन आवेदनों के संबंध में कथन या वचनबंध फाइल करने के लिए अनुज्ञात करे, वह अवधि जिसके भीतर आवेदन की आदेशिका से संबंधित ब्यौरे नियंत्रक के समक्ष फाइल किए जा सकेंगे और धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन नियंत्रक को आवेदक द्वारा दिए जाने वाले ब्यौरे ;

(iख) वह अवधि जिसके भीतर धारा 10 की उपधारा (4) के परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (अ) के अधीन विनिर्देश में सामग्री के जमा किए जाने के प्रतिनिर्देश किया जाएगा ;

(iग) वह अवधि जिसके लिए पेटेंट के लिए आवेदन उपधारा (1) के अधीन जनता के लिए खुला नहीं होगा और वह रीति जिसमें धारा 11क की उपधारा (2) के अधीन नियंत्रक से आवेदक अपने आवेदन को प्रकाशित करने के लिए अनुरोध कर सकेगा ;

(iघ) पेटेंट के लिए आवेदन की जांच के लिए अनुरोध करने की रीति और वह अवधि जिसके भीतर धारा 11ख की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन ऐसी जांच की जाएगी ;

(iङ) वह रीति जिसमें पेटेंट के अनुदान के लिए आवेदन वापस लेने के लिए आवेदन किया जाएगा और वह अवधि जिसके भीतर धारा 11ख की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन गोपनीयता से संबंधित निदेशों के प्रतिसंहरण की तारीख से जांच के लिए अनुरोध किया जाएगा ;";

(ख) खंड (ii) में, "विज्ञापित" शब्द के स्थान पर, "प्रकाशित" शब्द रखा जाएगा ;

(ग) खंड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(v) वह रीति, जिसमें और वह अवधि, जिसके भीतर नियंत्रक धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और उसका निपटारा करेगा ;

(vक) वह अवधि, जिसके भीतर नियंत्रक धारा 39 के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करने के लिए अपेक्षित है ।";

(ii) उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु केंद्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विद्यमान परिस्थितियों में पूर्व प्रकाशन की शर्त का अनुपालन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है तो ऐसे अनुपालन से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी ।"।

धारा 163 का लोप ।

76. मूल अधिनियम की धारा 163 का लोप किया जाएगा ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

77. (1) इस अध्यादेश की धारा 21 द्वारा मूल अधिनियम के अध्याय 4क के लोप के होते हुए भी मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले पेटेंट के

लिए दावे के संबंध में 1 जनवरी, 2005 से पूर्व उस अध्याय के अधीन फाइल किए गए अनन्य विपणन अधिकारों के अनुदानों के लिए प्रत्येक आवेदन, इस अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 11ख की उपधारा (3) के अधीन पेटेंट के अनुदान के लिए जांच हेतु अनुरोध के रूप में माना गया समझा जाएगा ।

(2) 1 जनवरी, 2005 से पूर्व अनुदत्त भारत में कोई वस्तु या पदार्थ का विक्रय या वितरण करने का प्रत्येक अनन्य अधिकार उन्हीं निबंधनों और शर्तों के साथ प्रभावी बना रहेगा जिन पर वह अनुदत्त किया गया था ।

(3) मूल अधिनियम के उपबंधों में से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे आवेदनों की, जिनके संबंध में 1 जनवरी, 2005 से पूर्व अनन्य अधिकार अनुदत्त किए गए हैं, इस अध्यादेश के प्रारंभ होते ही पेटेंट के अनुदान के लिए जांच की जाएगी ।

(4) 1 जनवरी, 2005 से पूर्व अनुदत्त अनन्य अधिकार के अतिलंघन से संबंधित सभी वादों पर उसी रीति से कार्रवाई की जाएगी मानो वे मूल अधिनियम के अध्याय 17 के अधीन पेटेंटों के अतिलंघन से संबंधित वाद हो ।

(5) अनन्य अधिकार के अनुदान के लिए की गई अपेक्षित जांच और अन्वेषण को विक्रय या वितरण करने के अनन्य अधिकार के किसी अनुदान की विधिमान्यता को उधार देने वाला नहीं माना जाएगा और ऐसी किसी जांच या अन्वेषण या उसके परिणामस्वरूप किसी रिपोर्ट या अन्य कार्रवाई के कारण या उसके संबंध में केन्द्रीय सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा कोई दायित्व उपगत नहीं किया जाएगा ।

ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति ।

टी0के0 विश्वनाथन,
सचिव, भारत सरकार ।